जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 07.09.2025

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 595/2025 धारा 3(1), 2(b)(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता विवेक सोनकर उर्फ निहाल पुत्र विकास सोनकर निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर को विधिक नियमों का पालन करते हुये मुडिला खुर्द गांव, भिटवा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

विवेक सोनकर उर्फ निहाल पुत्र विकास सोनकर निवासी बरहुआ थाना गीडा जनपद गोरखपुर ।

संक्षिप्त विवरणः-

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। चोरी के अभियोग दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत दिनांक 08.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर अभियुक्त को आज दिनांक 07.9.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह, का0 रत्नेश सिंह, का0 नवतेज सिंह।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में - ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता धर्मराज निषाद पुत्र बहादुर निषाद निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः**-* उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता मल्लू उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र केदार पाठक निवासी छपिया अव्वल थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः**-* उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 बब्लू प्रसाद, का0 बाल गोविन्द गौड़, का0 संजय कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3316 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3316 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत रक्शा उतरावल से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 01 व्यक्ति (1.ब्रह्मानन्द पुत्र कक्ष्मण सा0 रक्शा उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 शिवम जायसवाल, हो0चा0 इन्द्रनाथ पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 145 वाहनों से 1,62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 145 वाहनों से 1,62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

कूटरचित व गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीर नगर के ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/120बी/467/468/471 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 12 पासपोर्ट अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दू पुत्र शंकर निवासी नेहरु चौक थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर (वास्तविक नाम सुमन्त पुत्र दुलारे निवासी शनिचरा पट्टी दूबे पोस्ट ददरी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर) के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। उक्त अभियुक्त चन्दू उपरोक्त को छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुम्बई को गिरफ्तार किया गया था। उसी दौरान मुम्बई एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अभिरक्षा में लेकर उसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीर नगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** को सूचना प्रेषित की गयी थी। इस सूचना से अवगत होने के पश्चात थाना कोतवाली खलीलाबाद पर नियुक्त उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, आरक्षी सुनील कुमार पाल अभियुक्त उपरोक्त की न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु मुम्बई के लिए रवाना हुये थे। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मुम्बई से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर, उक्त पुलिस बल आज दिनांक 07.09.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को साथ लेकर मुम्बई से खलीलाबाद, संत कबीर नगर उपस्थित आये। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी- एक अदद कूट रचित पासपोर्ट।

□ ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रॉंग साइड व बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान***

□ ***अभियान के तहत जनपद से कुल 145 वाहनों से 1,62,500 रु0 वसूला गया जुर्माना***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 07.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए रॉंग साइड व बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 02 वाहनों से 2,000 रुपए, थाना दुधारा से 03 वाहनों से 2500 रुपए, थाना धनघटा से 21 वाहनों से 22500 रु0, थाना महुली से 07 वाहनों से 10,000 रु0, थाना बखिरा से 17 वाहनों से 12,000 रु0, थाना बेलहरकला से 05 वाहनों से 5,000 रु0 व यातायात पुलिस द्वारा 90 वाहनो से 108500 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।